

वन भूमि की मांग की औचित्य पूर्ण विस्तृत आख्या

परियोजना का नाम:- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज न० XV के अन्तर्गत बादसी गोलोक धाम खाण्ड से कटखन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.077 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.120 हे० सिविल सोयम भूमि अर्थात् कुल 0.890 हे० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम कटखन की 251 की आबादी अभी तक मोटर मार्ग से नहीं जुड़ी है और ग्रामवासियों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिये लगभग 03 कि०मी० पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। प्रस्तावित समरेखण ग्राम खाण्ड एवं कटखन के नाप भूमि, सिविल सोयम भूमि, वन आरक्षित भूमि से हो कर गुजर रहा है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है जो तकनीकी भू-वैज्ञानिकों के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त बताया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है, जैसा कि मानचित्र के अनुसार ग्राम कटखन की नाप भूमि तथा आरक्षित वन भूमि एवं सिविल भूमि से घिरा है। उक्त निर्माण कार्य के दौरान मक डिस्पोजल चयनित नाप भूमि में किया जायेगा।

अतः ग्राम कटखन तक मोटर मार्ग निर्माण के लिये आरक्षित, सिविल तथा नाप भूमि की आवश्यकता है इसलिए प्रस्तावित समरेखण में भू-वैज्ञानिक द्वारा परीक्षण कराकर न्यूनतम आरक्षित व सिविल भूमि की मांग की गई है। उक्त भूमि का हस्तान्तरण किया जाना अनिवार्य है।

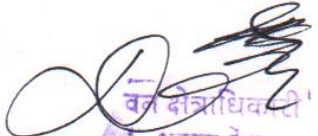
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 250 से अधिक आबादी वाले गांव को जोड़े जाने का प्रविधान है, जो कि बादसी गोलोक धाम खाण्ड से कटखन के नाम से उक्त मोटर मार्ग 2.200 कि०मी० लम्बाई में प्रस्तावित है।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मोटर मार्ग का निर्माण औचित्य पूर्ण है।


सहायक अभियन्ता


तहसीलदार,
चिन्मालीसौड़।


अधिशाली अभियन्ता


वन क्षेत्राधिकारी
धरासू रेंज
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी


प्रमुख वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी


SDM(D)